

न्यायालय : अतुल बिल्लौरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)
कमांक /२३५.../ 2026 मंदसौर, दिनांक 24.03.2026

— :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह अप्रैल 2026 ::—

— :: जिला मुख्यालय—मंदसौर ::—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह—अप्रैल 2026
1	श्रीमती रोहिणी तिवारी जे.एम.एफ.सी.	12-04-2026
2	श्री राज कुमार त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी.	19-04-2026
3	श्रीमती प्राची पांडे माटा जे.एम.एफ.सी.	05-04-2026
4	श्रीमती रूचि पटेलिया अरौरा जे.एम.एफ.सी.	26-04-2026
5	श्रीमती श्वेता सिंह जे.एम.एफ.सी.	14-04-2026
6	सुश्री पूर्वी गुप्ता जे.एम.एफ.सी.	04-04-2026
7	श्री काशीष माटा जे.एम.एफ.सी.	03-04-2026

—:: तहसील मुख्यालय—नारायणगढ़ ::—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह—अप्रैल 2026
1	श्रीमती प्रतिभा सोलंकी जे.एम.एफ.सी.	12--04-2026 14--04-2026 19-04-2026
2	श्री एकाग्र चतुर्वेदी जे.एम.एफ.सी.	03-04-2026 04-04-2026 05-04-2026 26-04-2026

—:: तहसील मुख्यालय—सीतामऊ ::—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह—अप्रैल 2026
1	श्री विनित साकेत, जे.एम.एफ.सी.	12-04-2026 14-04-2026 26-04-2026
2	सुश्री सुभांगी तिवारी, जे.एम.एफ.सी.	03-04-2026 04-04-2026 05-04-2026

24-3-26

		19-04-2026
—:: तहसील मुख्यालय—गरोठ ::—		
क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह—अप्रैल 2026
1	श्री संगम सिंह जे.एम.एफ.सी.	12-04-2026 14-04-2026 26-04-2026
2	श्रीमती कविता संगम सिंह जे.एम.एफ.सी.	03-04-2026 04-04-2026 05-04-2026 19-04-2026

—:: तहसील मुख्यालय—भानपुरा ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह—अप्रैल 2026
1-	श्री गुरुवेंद्र कुमार हुरमाडे जे.एम.एफ.सी.	03-04-2026 04-04-2026 05-04-2026 12-04-2026 14-04-2026 19-04-2026 26-04-2026

माह अप्रैल 2026 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उस दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन माह अप्रैल 2026 में कमशः श्रीमती श्वेता सिंह/सुश्री सुभांगी तिवारी/श्रीमती प्रतिभा सोलंकी/श्री कविता संगम सिंह/श्री गुरुवेंद्र सिंह हुरमाडे के द्वारा किया जावेगा, यदि उनका भी अवकाश/मुख्यालय पर अनुपस्थित होने के आलोक में कार्यविभाजन पत्रक अनुसार उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जाएगी।

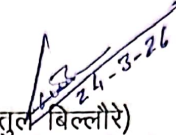
नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी, किन्तु आकस्मिकता एवं अपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 3.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

[Signature]
24-3-26

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

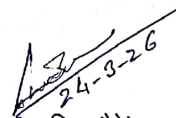

(अतुल बिल्लौरे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)

पृ.क.:- 236/2026

मंदसौर, दिनांक 24.03.2026

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय मन्दसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/ भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/ गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना मंदसौर/ सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेजे के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किये जाने हेतु।


(अतुल बिल्लौरे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)